वित्तीय समावेशन - आकलन और विश्लेषण संबंधी मुद्दे *

के.सी.चक्रवर्ती

प्रस्तावना

श्री मोहम्मद बीन इब्राहिम, उप गवर्नर, बैंक नेगारा मलेशिया और अध्यक्ष, इर्विंग फीशर समिति, श्री पॉल वान डेन बर्ग, सांख्यिकी प्रमुख, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, केंद्रीय बैंकों के सांख्यिकी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और कार्यशाला के अन्य प्रतिष्ठित सहभागी। बैंक नेगारा मलेशिया और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के संकेतक विषय पर संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला में अपनी उपस्थिति से मुझे बेहद खुशी हो रही है।

2. इक्विटी और समावेशक वृद्धि के आधार पर वित्तीय समावेशन का महत्त्व अंतरराष्ट्रीय रूप से नीति निर्माताओं का ध्यान खींचने में रहा है। वस्तुत: वैश्विक वित्तीय समावेशन की प्राप्ति वैश्विक लक्ष्य है और इसके विविध आयाम हैं। जहां प्रत्येक क्षेत्र अपना स्वयं का निष्पादन मॉडल विकसित करता है, वहीं हमें एक-दूसरे से सीखने तथा क्षेत्रानुसार उसे लागू करने की आवश्यकता है[1]।

3. इर्विंग फीशर समिति सांख्यिकी मामलों, जिनसे वैश्विक रूप से केंद्रीय बैंकों का संबंध आता है, से संबद्ध है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इर्विंग फीशर न केवल प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिन्होंने हमें मुद्रा का फीशर समीकरण और वास्तविक ब्याज दरों का सिद्धांत दिया, बल्कि वे सूचकांक सिद्धांत के भी अगुवा थे। उन्होंने एक बार कहा था कि "मेरा एक लक्ष्य अर्थशास्त्र को सावधान और मजबूत विश्लेषण के माध्यम से (जिसे सामान्यत: गणितीय पद्धति और सांख्यिकी सत्यापन के माध्यम से किया जाता है) वास्तविक विज्ञान बनाने में सहायता करना था [2]"। मुझे विश्वास है कि इस कार्यशाला से वित्तीय समावेशन की गहराई नापने के महत्त्वपूर्ण आयामों पर व्यावहारिक विचार प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी और साथ ही आंकड़ों की उपलब्धता और संबंधित मामलों को व्यवस्थित रूप देने में भी सहायता मिलेगी। जैसा कि कार्यक्रम की रूपरेखा में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, नया अनुसंधान एजेंडा विकसित करने, मानक निर्धारित करने और वित्तीय समावेशन में सुधार लाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने में वित्तीय समावेशन के सिद्धांतों और दृष्टिकोणों का महत्त्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता ही जा रहा है। अत: वित्तीय समावेशन के उपाय और आंकड़ों के बीच की दूरी पर ध्यान केंद्रित करना, जिस पर इस कार्यशाला में विचार किया जाएगा, एकदम समीचीन और महत्त्वपूर्ण है।

4. इस कार्यशाला का एजेंडा बहुत ही उपयुक्त है क्योंकि वर्तमान में हमारे पास वित्तीय समावेशन का विश्वसनीय और सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिससे असमावेशन की सीमा और समावेशन के प्रयासों के प्रभाव को आंकना कठिन हो जाता है। इस बात की जरूरत है कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर प्रभावी नीति निर्माण और विभिन्न दृष्टिकोणों के मानकीकरण के लिए उपयुक्त आंकड़ा संरचना और संबंधित विश्लेषक संरचना बनाई जाए। माप और आंकड़ों की आवश्यकता जानने के लिए नीतिगत पहलों की जानकारी महत्त्वपूर्ण है। इस पृष्ठभूमि में, मैं निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा: (i) वित्तीय समावेशन के प्रति दृष्टिकोण - कुछ अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय पहलें, (ii) वित्तीय समावेशन की माप और विश्लेषण के लिए धारणात्मक संरचना, (iii) वित्तीय समावेशन मापने की अंतरराष्ट्रीय पहलें और (iv) भारतीय परिप्रेक्ष्य। अंत में मैं कुछ समापक टिप्पणियां करूंगा।

वित्तीय समावेशन के प्रति दृष्टिकोण

अंतरराष्ट्रीय पहलें

5. वित्तीय समावेशन के प्रति वर्तमान दृष्टिकोण की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र की उन पहलों [3] को कहा जा सकता है जिनमें मोटे तौर पर वित्तीय समावेशन के मुख्य लक्ष्यों के रूप में बचत, ऋण,

* डॉ के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा क्वालालंपुर में 5 नवंबर 2012 को वित्तीय समावेशन संकेतक विषय पर बीआईएस-बीएनएम कार्यशाला में दिया गया भाषण। इस भाषण को तैयार करने में श्री ए.बी.चक्रवर्ती और श्री बिपिन नायर से प्राप्त सहयोग के लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद।

[1] "वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण - वित्तीय समावेशन के लिए आवश्यक बुनियाद", भारिबैं बुलेटिन, मई 2012।

[2] इर्विंग फीशर और सूचकांक सिद्धांत, इर्विन डिवर्ट का चर्चा पेपर, फरवरी 2012।

[3] यूएनडीपी वेबसाइट: वित्तीय समावेशन क्या है और यूएनडीपी ब्ल्यू बुक, 2006.

बीमा, विप्रेषण और अन्य बैंकिंग/भुगतान सेवाओं सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक बैंकिंग के लिए योग्य सभी परिवारों और उद्यमों को उचित लागत पर पहुंच उपलब्ध कराना निर्धारित किया गया था। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच पर वैश्विक विकास कार्य दल केंद्र की रिपोर्ट (अक्तूबर 2009)[4] में वित्तीय पहुंच बढ़ाने के लिए संस्थागत प्रणाली सहित व्यापक नीतिगत सिद्धांत निर्धारित किए गए जिनमें आंकड़ा संग्रह, निगरानी और आकलन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। जी 20 टोरंटो शिखर सम्मेलन (जून 2010) में 'नवोन्मेषी वित्तीय समावेशन के सिद्धांतों' की रूपरेखा बनाई गई थी जो कि उन नीतिगत और विनियामकीय दृष्टिकोणों के मार्गदर्शक का कार्य करती है जो कि नवोन्मेषी, पर्याप्त, कम लागत के वित्तीय सुपुर्दगी मॉडलों को सुरक्षित और सुदृढ़ तरीके से अपनाने को प्रोत्साहन देती है, स्वस्थ प्रतियोगिता के लिए उचित वातावरण उपलब्ध कराने में और विभिन्न बैंकों, बीमा और साथ ही उचित लागत तथा गुणात्मक वित्तीय सेवाएं देने के कार्य से जुड़ी बैंकेतर संस्थाओं के लिए प्रोत्साहन की रूपरेखा बनाने में सहायता करती है।

6. वैश्विक वित्तीय संकट ने वित्तीय समावेशन की आवश्यकता पर वैश्विक रूप से अधिक केंद्र में लाया है क्योंकि यह माना जाता है कि विश्वभर में विद्यमान वित्तीय असमावेशन एक ऐसा महत्त्वपूर्ण कारक था जिसने वित्तीय संकट को बढ़ाया था। जहां वित्तीय समावेशन के विस्तार को बैंकों, ऋण संघों, डाक कार्यालयों या सूक्ष्म वित्त संस्थाओं जैसी औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से जाना जाता है, वहीं इस सभी या कुछ संस्थाओं को मूल कार्य के भाग के रूप में रखने या सहभागियों की सहायता करने का दृष्टिकोण देशवार अलग होता है। इसके अलावा, यह देखना महत्त्वपूर्ण है कि वित्तीय समावेशन, कवरेज, संस्थाओं की भूमिका और दायित्व तथा उपाय/निगरानी की आवश्यकता की परिभाषा करने वाले सिद्धांत वर्षों में विकसित हुए हैं।

वित्तीय समावेशन - राष्ट्रीय पहलें

7. विश्व के अनेक देश अब वित्तीय समावेशन को अधिक समग्र वृद्धि के साधन के रूप में देख रहे हैं जिसमें देश का प्रत्येक नागरिक अपनी आय को वित्तीय साधन के रूप में उपयोग में ला सकता है अर्थात अपनी भावी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए इसका उपयोग कर सकता है जिससे राष्ट्र की प्रगति में भी योगदान होगा।

[4] वैश्विक विकास केंद्र द्वारा गठित कार्य दल की रिपोर्ट (अक्तूबर, 2009), को-चेयर्स पॅट्रिक होनोहान और अन्य।

8. वित्तीय समावेशन की पहलें वित्तीय विनियामकों, सरकार तथा बैंकिंग उद्योग से शुरू हुई। जहां वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देने के लिए बैंकिंग क्षेत्र ने काफी प्रयास किए. वहीं कुछ देशों में विधायी कदम भी उठाए गए। उदाहरण के लिए, अमरीका में समुदाय पुनर्निवेश अधिनियम (1977) के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपने संपूर्ण परिचालन क्षेत्र ऋण प्रदान करें और केवल पड़ोसी क्षेत्र के धनवानों को ऋण न दें। जर्मन बेकर्स संघ ने 1996 में एक स्वैच्छिक कोड शुरू किया जिसके अनुसार "एवरीमॅन" चालू बैंकिंग खाता उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो आधारभूत बैंकिंग लेनदेनों को सुगम बनाएगा। दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीकी बैंकिंग संघ ने वित्तीय रूप से अलग रह गए लोगों के लिए 2004 में"मझंसी" नामक कम लागत के बैंक खातों की शुरुआत की यूनाइटेड किंगडम में, सरकार ने वित्तीय समावेशन की प्रगति की निगरानी के लिए 2005 में "वित्तीय समावेशन कार्य दल" का गठन किया।

9. भारत में वित्तीय समावेशन का एतिहास इस लक्ष्य को औपचारिक रूप से अपनाने से भी बहुत पहले का है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, शीर्ष बैंक योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत, सेवा क्षेत्रीय दृष्टिकोण और स्व-सहायता समूहों का निर्माण - इन सब का लक्ष्य बैंकिंग सेवाओं को जन सामान्य तक ले जाना था। ब्रिक एंड मोर्टार इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से बैंक शाखाओं की संख्या में दस गुना वृद्धि हुई और यह बैंकों के पहले राष्ट्रीयकरण के वर्ष अर्थात 1969 के 8,000 अधिक से बढ़कर आज 99,000 से अधिक हो गई है। देश में बैंक शाखाओं के इतने व्यापक नेटवर्क के बावजूद जनसंख्या के बहुत बड़े भाग तक बैंकिंग अब तक नहीं पहुंच पाई है। वित्तीय असमावेशन का दायरा बहुत अधिक है। देश के आबादी वाले कुल 600,000 स्थानों में से मात्र 36,000 से अधिक में वाणिज्य बैंक की शाखाएं हैं। देश की मात्र लगभग 40 जनसंख्या के पास बैंक खाता है। किसी भी प्रकार के जीवन बीमा के कवर वाले लोगों का अनुपात मात्र 10 प्रतिशत है और अन्य जीवन बीमा से भिन्न बीमा कवर वाले लोगों का अनुपात तो एकदम ही कम अर्थात 0.6 प्रतिशत है। कुल जनसंख्या में डेबिट कार्ड धारकों की संख्या मात्र 13 प्रतिशत और क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या इससे भी बहुत कम अर्थात 2 प्रतिशत ही है।

10. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों (2002-03) से पता चलता है कि देश में लगभग 51 प्रतिशत किसान परिवारों ने किसी भी प्रकार के संस्थागत या इससे गैर-संस्थागत स्रोत से ऋण नहीं लिया था। अनेक ग्रामीण परिवार बैंकों से अब तक कवर नहीं हुए हैं। वे बचत खाता या ऋण सुविधा जैसी आधारभूत बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। बैंक खाता न होने वाले ग्रामीण लोगों का प्रतिशत लगभग 40 है और भारत के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में यह संख्या पांच में से तीन से भी अधिक है। अत: हमारा प्राथमिक उद्देश्य बैंकिंग को ग्रामीण और शहरी लोगों के इससे वंचित हिस्से तक पहुंचाना है।

11. वित्तीय समावेशन का अधिक केंद्रित और संरचनाबद्ध दृष्टिकोण 2005 से अपनाया गया जब भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करने का निर्णय लिया और बैंकिंग प्रणाली से इस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। हमारा ध्यान विशेष रूप से इस बात पर रहा है कि सभी 600 हजार गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं और बचत, ऋण और विप्रेषण जैसे आधारभूत वित्तीय उत्पादों के माध्यम से उनकी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी की जाएं। समावेशक वृद्धि के एजेंडा के व्यापक संदर्भ में वित्तीय समावेशन का लक्ष्य बहु एजेंसी दृष्टिकोण के माध्यम से पूरा करने के प्रयास किए गए। भारत सरकार ने 2006 में वित्तीय समावेशन पर समिति गठित की[5] जिसने समावेशक वित्तीय क्षेत्र के निर्माण की रणनीति के संबंध में अनेक सिफारिशें की और राष्ट्रीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन योजना प्रस्तुत की। भारत सरकार ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का गठन किया जिसे अन्य बातों के साथ ही वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का दायित्व दिया गया है। भारत में जारी वित्तीय समावेशन एजेंडा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारिबैं द्वारा उच्च स्तरीय वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति का गठन किया गया। यह समिति एक सक्षम और टिकाऊ बैंकिंग सेवा सुपुर्दगी मॉडल के विकास का मार्ग बनाएगी जिसमें बैंकिंग नेटवर्क से बाहर रह गए ग्रामीण और शहरी ग्राहकों के लिए पहुंच योग्य और वहनीय लागत वाली वित्तीय सेवाओं, उत्पाद विकास और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता के कार्य का सही दिशा में चलना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विनियामकीय ढांचा सुझाया जाएगा। भारिबैं सहित वित्तीय क्षेत्र के विनियामक वित्तीय समावेशन मिशन के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध हैं। मैं इस बात को कुछ देर में विस्तार से कवर करूंगा।

[5] अध्यक्ष डॉ. सी.रंगराजन

नाप और आंकड़ा विश्लेषण की संरचना - धारणात्मक मुद्दे

12. नाप की एक पूर्व आवश्यकता यह है कि वित्तीय समावेशन के संदर्भ और संरचना को समझा जाए। वित्तीय समावेशन के विभिन्न आयामों को नापने का कोई भी प्रयास संदर्भ और संरचना को स्पष्ट किए बिना संभव नहीं है। वित्तीय समावेशन के नाप की मूल संरचना में कुछ महत्त्वपूर्ण आयाम शामिल होने चाहिए।

13. पहला, वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और ग्राहक सुरक्षा वित्तीय स्थिरता के तीन प्रमुख स्तंभ हैं। जहां वित्तीय समावेशन आपूर्ति पक्ष से कार्य करता है और लोगों की मांग के अनुसार वित्तीय बाजार/सेवाएं उपलब्ध कराता है, वहीं वित्तीय साक्षरता मांग पक्ष को प्रेरित करती है जिससे लोगों को यह पता चलता है कि वे किस बात की मांग कर सकते हैं। वित्तीय समावेशन में मांग पक्षीय मामलों में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं, ऋण अवशोषण क्षमता आदि का ज्ञान शामिल होता है। इस मुद्दों का सामना विकासशील और विकसित - दोनों देशों को करना पड़ता है। आपूर्ति पक्षीय मुद्दों में वित्तीय बाजार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं का नेटवर्क, उत्पादों का उचित डिजाइन और सेवाएं आदि शामिल होते हैं। इन मुद्दों का सामना सामान्यत: विकासशील देशों को करना पड़ता है। वित्तीय समावेशन की संरचना में मांग और आपूर्ति पक्षीय मुद्दे, पोषक वातावरण का आकलन, वित्तीय समावेशन का विस्तार और इसके मार्ग की बाधाओं जैसे विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाना होता है।

14. दूसरा, बचत उत्पाद, आपात ऋण, भुगतान उत्पाद और उद्यमशीलता ऋण सहित उपयुक्त उत्पादों की उपलब्धता वित्तीय समावेशन के वातावरण के लिए महत्त्वपूर्ण पहलू हैं। इसके अलावा, सुगम पहुंच के संबंध में, समय पर पहुंच, दूरी, मूल्यन और शर्तें विभिन्न आयाम हैं। साथ ही, वित्तीय शिक्षा और ग्राहक संरक्षण के संदर्भ में उत्पादों में पारदर्शिता और उपयुक्तता भी महत्त्वपूर्ण है।

15. तीसरा, निगरानी ढांचे में लेनदेन स्तर, ग्राहक स्तर और उत्पाद तथा सेवा स्तर सूक्ष्म स्तर पर शामिल होने चाहिए। इसके अलावा, नीति के परिणाम, सुपुर्दगी मॉडल की सक्षमता आदि के आकलन के लिए समष्टि स्तर पर भी निगरानी महत्त्वपूर्ण आयाम है। इसके लिए प्रभाव का विश्लेषण और प्रवेश अध्ययन आवश्यक होता है।

16. सूचना की आवश्यकता में वित्तीय समावेशन की पहलें लागू करने में हुई प्रगति के आधार पर भिन्नता होती है। तदनुसार, सूचना की आवश्यकता को मोटे तौर पर प्रस्ताव/परिभाषा स्तर, वातावरण स्तर, कार्यान्वयन स्तर, निगरानी स्तर और समग्र आकलन स्तर के समय की आवश्यकता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पक्की संरचनाओं तक पहुंच को नापने के सर्वाधिक आधारभूत कुछ संकेतकों में प्रति 1,000 जनसंख्या के लिए शाखाओं और प्रति 1,000 कि.मी.के लिए एटीएम की संख्या शामिल है। दूसरी ओर, सूचना और संप्रषण प्रौद्योगिकी आधारित बिजनेस कारेसपांडेंट मॉडल जैसे वैकल्पिक बैंकिंग आउटलेटों के लिए आधारभूत संकेतकों में बिजनेस कारेसपांडेंट आउटलेट-शाखा अनुपात, प्रति बिजनेस कारेसपांडेंट कवर किए गए गांवों की संख्या आदि शामिल हैं। उत्पादों की निगरानी के संदर्भ में उत्पादों की संख्या के आंकड़े, उत्पादों के प्रकार, उत्पादों पर प्रतिफल और उनकी संबंधित विशेषताएं महत्त्वपूर्ण होती हैं। कार्यान्वयन और आकलन स्तर पर, ग्राहकों और उत्पादों में वृद्धि/पद्धति में परिवर्तन, लेनदेन की मात्रा, उत्पादों पर प्रतिफल आदि के अध्ययन से वित्तीय समावेशन के प्रवेश और प्रभाव विश्लेषण के माध्यम से पहलों में हुई प्रगति का आकलन करना महत्त्वपूर्ण होता है। यह देखना महत्त्वपूर्ण है कि समष्टि और सूक्ष्म स्तरीय प्रभाव के अध्ययन के लिए उपयुक्त रूप से तैयार किए गए आवधिक सर्वेक्षण उपयोगी साधन हो सकते हैं। सुपुर्दगी मॉडल की सक्षमता और पहलों की निरंतरता का आकलन करने, वित्तीय साक्षरता के विस्तार को नापने और वित्तीय समावेशन के मार्ग की बाधाओं का आकलन करने के लिए भी सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होंगे।

17. वित्तीय समावेशन की मजबूत संरचना विविध मानदंडों पर निर्भर करती है जिनमें विविध सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियां और व्यवहार्य वित्तीय सेवा सुपुर्दगी प्रणाली शामिल है जिसमें क्षेत्रवार भिन्नता होगी। यह बात विशेष रूप से भारत जैसे देश पर लागू होती है जहां भौगोलिक और जनसांख्यिकीय विस्तार है और सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से काफी भिन्नता है। किसी भी व्यापक आधार की वित्तीय प्रणाली के जैसे ही, वित्तीय समावेशन की नाप और निष्पादन निगरानी प्रणाली के लिए निष्पादन आंकड़ों तथा विश्लेषकों का निकाय आवश्यक होता है। अनेक बार, अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा उनके डेडिकेटेड डाटाबेस के आधार पर निकाली गयी देशवार तुलना अधिक समग्र डाटा तुलना पर निर्भर होती है जिसे बारीकी से देखने पर कुछ भिन्नता नजर आती है। यह बात वित्तीय समावेशन के विश्लेषकों के संबंध में अधिक संगत है जिसके लिए वित्तीय समावेशन योजना और कार्यक्रम की उभरती आवश्यकता पर आधारित पहचानने योग्य नए प्रकार के संकेतकों की आवश्यकता है।

धारणा और पारिभाषिक मुद्दे

18. वित्तीय समावेशन की धारणा का विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न अर्थ होने के कारण इसके लिए नीतिगत मानदंडों के निर्धारण के लिए कोई मानक स्तर उपयोग में लाना कठिन हो जाता है। इससे संबंधित कठिनाइयां यह हैं कि वित्तीय समावेशन के लिए प्रयोग किए गए लक्ष्यित वैरिएबल्स विभिन्न संस्थागत संरचना के कारण देशवार या संगठनवार भिन्न हो सकते हैं। वित्तीय समावेशन के डाटाबेस और समाज के जनकल्याण के मानदंडों के बीच लिंकेज में अंतर्निहित दुर्लबलता से जटिलता में और वृद्धि होती है। इसके अलावा, वित्तीय समावेशन की ऐसी कोई सहमतियुक्त संमिश्र नाप नहीं है जो कि समय और भौगोलिक आधार पर प्रयोग की जा सके। अत: वित्तीय समावेशन के मानदंडों की नाप में संगतता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित मानदंडों को नाप प्रक्रिया के पहले चरण में ही वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित किया जाए। हमारी भावी आवश्यकता यह है कि वित्तीय समावेशन का आकलन किया जाए और भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को पहचाना जाए। ऐसा करने के लिए हमें उच्च स्तरीय, बहु-आयामी, तुलनीय वित्तीय समावेशन डाटा की आवश्यकता है जो कि अंतरराष्ट्रीय मानकीकृत शर्तों और धारणाओं पर आधारित होना चाहिए। इस प्रकार, नाप के लिए इसमें आंकडों का सही निरुपण के लिए विश्लेषक और अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क की स्थापना का शामिल होना भी आवश्यक है।

वित्तीय समावेशन के आंकड़ों के विविध आयाम

19. वित्तीय समावेशन संबंधी आंकड़ों के निर्माण की प्रक्रिया में अनेक संरचनात्मक आयाम हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) उपयुक्त संकेतकों के निर्माण से वित्तीय समावेशन की पहलों में हुई प्रगति की नाप। इन संकेतकों में वित्तीय सेवाओं तक

पहुंच (की आपूर्ति) और उपयोग (के लिए मांग) के साथ ही उनकी व्याप्ति और प्रवेश शामिल होना चाहिए। जमा खातों की उपलब्धता और वास्तविक उपयोग, भुगतान सेवा, निर्धन परिवारों के लिए ऋण (सूक्ष्म ऋण योजना), सूक्ष्म स्तरीय बीमा उत्पाद की नाप संरचना में शामिल होनी चाहिए।

(ii) दूसरा पहलू वित्तीय समावेशन और इसके आकलन के संकेतकों के विकास की बाधाओं को समझने से संबंधित है।

(iii) एक अन्य महत्त्वपूर्ण आयाम दिए गए ऋण की मात्रा, जमा की गई राशि, भेजा गया विप्रेषण आदि के लेनदेनयुक्त आंकड़ों को इकट्ठा करना है। वित्तीय समावेशन कौ पहलों की प्रभावशीलता को नापने के लिए यह महत्त्वपूर्ण है। लेनदेन सुनिश्चित किए बिना मात्र खाते खोलने से वित्तीय समावेशन के उपायों का लाभदायक प्रभाव कम हो जाता है।

(iv) अंत में, विविध आंकड़ों को एकत्रित करके उनका स्तर निर्धारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए। इस संबंध में यह आवश्यक है कि वैश्विक रूप से लागू संकेतकों के निर्माण के लिए संबंधित आंकड़ों की वर्तमान स्थिति की जानकारी होनी चाहिए।

20. मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं को कवर करते हुए आधारभूत आंकड़े पूर्ववर्ती वित्तीय मध्यस्थों द्वारा सेल्फ-रिपोर्टिंग टेम्प्लेट के माध्यम से या पारिवारिक सर्वेक्षण से प्राप्त किए जा सकते हैं। वित्तीय समावेशन संकेतकों के अंतरराष्ट्रीय स्तर निर्धारण की आवश्यकता है क्योंकि विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अपनायी जा रही प्रथाओं में काफी भिन्नता हो सकती है। वित्तीय समावेशन के लिए योजनाएं बनाने के लिए स्तर निर्धारण और सर्वोत्तम प्रथाएं बनाने की दृष्टि से मानक सांख्यिकी को तुलनीय तथा संगत रूप से विकसित करना आवश्यक है।

वित्तीय समावेशन के संकेतकों का अंतरराष्ट्रीय डाटाबेस

21. वित्तीय समावेशन मजबूत दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के प्रेरक के रूप में तेजी से उभर रहा है जिससे यह केंद्रीय बैंकरों और विभिन्न वैश्विक विकासात्मक तथा वित्तीय संस्थाओं का ध्यान आकर्षित कर रहा है। किंतु यह बात भी उभर रही है कि वित्तीय समावेशन के विस्तार को और विशेष रूप से समझने में अभी काफी कार्य शेष है निर्धन, महिलाएं और युवाओं जैसे संवेदनशील समूहा किस सीमा तक वित्तीय समावेशन से वंचित रह गए हैं। विभिन्न वित्तीय सेवाओं के प्रयोग के प्रणालीगत संकेतकों की उपलब्धता को अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं में और अंततः वैश्विक स्तर पर सुधारने की आवश्यकता है। यह देखना बहुत महत्त्वपूर्ण है कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष संबंधित डाटाबेस के विकास पर ध्यान दे रहे हैं और साथ ही नीतिगत परिप्रेक्ष्य और दिशानिर्देशों से वित्तीय समावेशन के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

22. वैश्विक बैंक डाटाबेस, जो कि वैश्विक वित्तीय समावेशन डाटाबेस (ग्लोबल फिनडेक्स) कहलाता है, वार्षिक गॅलप वर्ल्ड पोल के एक भाग के रूप में सर्वेक्षण आधारित डाटा उपलब्ध कराता है। 2011 में किए गए सर्वेक्षण में यादृश्चिक रूप से चुने गए, देशगत प्रतिनिधि नमूने प्रयोग करके 148 अर्थव्यवस्थाओं में कम-से-कम 1,000 वयस्कों को कवर किया गया। ग्लोबल फिनडेक्स डाटाबेस का फोकस उन संकेतकों के सेट पर रहता है जो कि इस बात को देखते हैं कि कोई वयस्क व्यक्ति किस प्रकार बचत करता है, उधार लेता है, भुगतान करता है और जोखिम का प्रबंध करता है। इस प्रकार इसमें यह देखा जाता है कि एक ठीक से कार्यरत वित्तीय प्रणाली बचत, ऋण, भुगतान और जोखिम प्रबंधन उत्पादों का प्रस्ताव को लोगों को किस प्रकार करती है जिनकी आवश्यकताओं का दायरा बहुत बड़ा होता है। समावेशक वित्तीय प्रणाली जो कि वित्तीय सेवाओं तक, इनके प्रयोग की मूल्य या गैर-मूल्य बाधाओं के बिना, व्यापक पहुंच उपलब्ध कराती है, से विशेष रूप से गरीब लोगों और लाभ से वंचित अन्य लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। समावेशक वित्तीय प्रणाली के बिना गरीब लोगों को उनकी शिक्षा और उद्यमशीलता संबंधी कार्यों में निवेश के लिए स्वयं की सीमित बचत पर निर्भर रहना होगा जबकि छोटे उद्यमियों को वृद्धि के अवसरों का लाभ लेने के लिए स्वयं की सीमित आय पर निर्भर रहना होगा। इससे आय असमानता में निरंतरता और आर्थिक वृद्धि में धीमापन बढ़ेगा। फिनडेक्स अनेक मानदंडों के लोगों के समूहों जैसे कि (क) जिन्होंने वित्तीय संस्थाओं या अन्य में राशि की बचत की है, (ख) वित्तीय संस्थाओं या अन्य से ऋण लिया है, (ग) स्वास्थ्य/कृषि बीमा के लिए भुगतान किया है (घ) वित्तीय लेनदेनों के लिए चेक/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान/मोबाइल भुगतान प्रणाली का उपयोग किया है - से संबंधी आंकड़ों की रिपोर्ट करता है। विश्व बैंक ने डाटाबेस पर अप्रैल 2012 में अनुसंधान अध्ययन जारी किया है। चुनिंदा देशों

संबंधी कुछ संकेतकों के आंकड़ों की झलक अनुबंध 1 में दी गई है। इस अध्ययन से निम्न बातों का पता चलता है।

i) विश्व के 50 प्रतिशत वयस्क लोगों ने सूचित किया है कि उनका किसी औपचारिक वित्तीय संस्था में खाता है किंतु इन खातों में होने वाले लेनदेन में क्षेत्रवार और अर्थव्यवस्थावार अंतर है[6]। और जब इन संख्याओं की बारीकी से जांच की जाए तब देशों में वित्तीय समावेशन के संकेतकों का विस्तार अधिक दीकता है।

ii) वित्तीय परिधि से बाहर रह गए लोगों की संख्या मुख्यत: विकासशील देशों में है जहां मात्र 41 प्रतिशत वयस्क लोगों के पास ही औपचारिक खाता है जिनमें ऐसा खाता मात्र 37 प्रतिशत महिलाओं और 46 प्रतिशत पुरुषों के पास है। विकासशील देशों में देखी गई आय असमानता में भिन्नता के कारण उक्त लिंग अंतर और भी बढ़ जाता है।

iii) देशवार तुलना से पता चलता है कि वयस्क जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में नापा गया बैंक खातों के विस्तार में देशवार काफी भिन्नता है। उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में खाता आधारित वित्तीय समावेशन काफी अधिक है अर्थात 89 प्रतिशत वयस्कों के औपचारिक वित्तीय संस्थाओं में खाते हैं। भारत में खातों को 35 प्रतिशत[7] दर्शाया गया है (पुरुषों के संदर्भ में 43.7 प्रतिशत और महिलाओं केसंदर्भ में 26.5 प्रतिशत) जबकि चीन में यह बेहतर है अर्थात 63.8 प्रतिशत (पुरुषों के संदर्भ में 67.6 प्रतिशत और महिलाओं के संदर्भ में 60 प्रतिशत)। दक्षिण कोरिया 93 प्रतिशत के साथ इस संबंध में और सर्वशिक्षा तथा विशेष रूप से वित्तीय साक्षरता के संबंध में काफी आगे है।

iv) किंतु ऐसे आंकड़ों के समग्र स्वरूप के कारण उप-देशीय स्तर पर इसकी गहनता औत सटीकता समझने के संदर्भ में अनेक प्रकार की निष्पादन संबंधी महत्त्वपूर्ण जानकारी छुप जाती है। विश्व बैंक के अध्ययन में प्रयोग किए गए डाटाबेस (फिनडेक्स) की एक अन्य विशेषता यह है कि यह सर्वेक्षण आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली है जिसमें छोटे नमूना पूर्वाग्रह हो सकते हैं और ऐसी बाधाएं पारिवारिक सर्वेक्षण के लिए स्वाभाविक हैं विशेष रूप से इसलिए क्योंकि वे वित्तीय समावेशन के पिरामिड के निचले दायरे के लोगों को शामिल करते हैं।

23. इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय समावेशन संबंधी देशवार आंकड़े और सूचना इकट्ठी करने के लिए 2009 में "वित्तीय पहुंच सर्वेक्षण" शुरू किया और जुलाई 2012 में आंकड़े प्रकाशित किए[8]। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्तीय समावेशन संबंधी वैश्विक आपूर्ति पक्षीय आंकड़ों का एकमात्र स्रोत वित्तीय पहुंच सर्वेक्षण है जिसमें वित्तीय पहुंच और प्रयोग के अंतरराष्ट्रीय तुलनीय आधार संकेतक शामिल हैं। यह वित्तीय समावेशन संकेतकों का जी-20 आधार सेट का आंकड़ा स्रोत है जिसकी पुष्टि जून 2012 में लास कॅबोस शिखर सम्मेलन में जी-20 के नेताओं ने की थी। वित्तीय पहुंच सर्वेक्षण डाटाबेस में इस समय 2004-2011 की अवधि के 187 अधिकार क्षेत्रों के वार्षिक आंकड़े शामिल हैं जिसमें सभी जी 20 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। वित्तीय पहुंच सर्वेक्षण के आंकड़ों में प्रति 1000 स्क्वे. कि.मी. और प्रति 100,000 वयस्कों के आधार पर बैंक शाखाओं और एटीएम की देशवार उपलब्धता, प्रति 1000 वयस्कों के अनुसार बैंकों में जमा तथा ऋण खातों की संख्या और जमा-जीडीपी तथा ऋण-जीडीपी अनुपात को कवर किया गया है। आंकड़ों की एक झलक अनुबंध 2 में दी गई है।

24. जहां ऐसी पहलें अत्यधिक प्रसंशनीय हैं और समष्टि स्तर पर व्यापक अंतर को पाटती हैं, वहीं इस बात को समझना होगा कि वित्तीय समावेशन के आंकड़ों की समष्टि और सूक्ष्म - दोनों स्तरों पर आवश्यकता है। सूक्ष्म स्तर वित्तीय समावेशन की वितरण संबंधी विशेषता उपलब्ध करा सकता है जिससे यह नीतिगत पहलों और और उनके परिणामों के आकलन के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों से पता चलता है कि देशवार काफी अंतर है जिसे पाटने की जरूरत है ताकि इसके प्रयोग में सुधार हो सके।

[6] "वित्तीय समावेशन को नापना", *नीतिगत अनुसंधान वर्किंग पेपर,* 6025, विश्व बैंक। यह ग्लोबल फिनडेक्स डाटाबेस, के पहले चक्र पर आधारित है। यह डाटाबेस उन संकेतकों पर आधारित है जो कि इस बात का आकलन करते हैं कि 148 अर्थव्यवस्थाओं में वयस्क किस प्रकार बचत करते हैं, उधार लेते हैं, भुगतान करते हैं और जोखिम का प्रबंध करते हैं। संकेतकों का निर्माण सर्वेक्षण के आंकड़ों से किया गया जिसमें 2011 के कैलेंडर वर्ष के दौरान उन 148 अर्थव्यवस्थाओं में 15 से अधिक की आयु वाले अनियमित आधार पर चुने गए वयस्कों और 150,000 से अधिक राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साक्षात्कार लिए गए थे।

[7] भारिबैं वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 (पृष्ठ 88-92) में भारत से संबंधित सर्वेक्षण के निष्कर्ष दिए गए हैं जो कि विश्व बैंक के नीतिगत अनुसंधान वर्किंग पेपर और भारत में वित्तीय समावेशन की अद्यतन स्थिति पर आधारित हैं।

[8] अधिक जानकारी के लिए http://fas.imf.org/ देखें।

वित्तीय समावेशन की बाधाओं संबंधी आंकड़े

25. खाता आधारित वित्तीय सेवाओं के वर्तमान सेट के अंतर्गत भी प्रौद्योगिकी अपनाने तथा परिचालन लागत के स्तरों की भिन्नता के कारण वास्तविक सुपुर्दगी मॉडल में काफी भिन्नता है। अधिक बंधन विधिक और नौकरशाही तथा उचित इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय शिक्षा की कमी से संबंधित बाधाएं हैं जिनका समाधान ढूंढने की आवश्यकता है ताकि वित्तीय परिधि से बाहर रह गए लोगों को औपचारिक वित्तीय पहुंच नेटवर्क के अंतर्गत लाया जा सके। उदाहरणार्थ, बैंक रहित लोगों को पहचानकर उन्हें बैंक योग्य बनाना चुनौतीपूर्ण कार्य है - यह निवास, भूमि के स्वामित्व या कॉमन प्राधिकृत पहचान कोड अपनाने से संबंधित हो सकता है। वित्तीय समावेशन की पहलों की प्रगति की बाधाओं संबंधी आंकड़ों की बेंचमार्किंग करने से विभिन्न क्षेत्रों की सामान्य समस्याओं की पहचान करके उन्हें दूर करने में काफी सहायता मिल सकती है। इस संबंध में, संकेंद्रित अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से बेहतर नीति निर्माण के लिए आवश्यक आंकड़ा निर्माण में सहायता मिल सकती है।

भारत में वित्तीय समावेशन के प्रयास

26. मैंने भारत में वित्तीय समावेशन के नीतिगत प्रयासों संबंधी प्रगति की कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओं का पहले ही उल्लेख किया है। इस संदर्भ में अपनायी गयी व्यापक परिभाषा निम्नवत है:

> *"वित्तीय समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मुख्य संस्थाओं द्वारा सामान्य रूप से समाज के सभी सदस्यों और विशेष रूप से संवेदनशील समूहों की आवश्यक उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच को उचित और पारदर्शी पद्धति से वहनीय लागत पर सुनिश्चित किया जाता है"*

27. भारत में हमने बचत, भुगतान और ऋण के संबंध में संयुक्त रूप से उत्पादों के समूह की शुरुआत के लिए बैंक की अगुवाई वाला मॉडल अपनाया है। यह देखा गया है कि प्रभावी/अर्थपूर्ण वित्तीय समावेशन की सफलता के लिए आवश्यक उत्पाद प्रस्तुत करने की क्षमता मुख्यधारा की बैंकिंग संस्थाओं में ही है। मोबाइल कंपनियों जैसे अन्य मध्यस्थों और प्रौद्योगिकी साझेदारों को मिलकर सेवाएं प्रस्तुत करने के लिए बैंकों के साथ साझेदारी करने की अनुमति दी गई है। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि एमएफआई/एनबीएफसी/एनजीओ वित्तीय समावेशन का कार्य अपने दम पर पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वित्तीय समावेशन के लिए आवश्यक न्यूनतम वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को वे प्रस्तुत नहीं कर सकते। किंतु वे वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं क्योंकि वे लोगों और समुदायों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली की परिधि में लाते हैं[9]।

28. आगे, प्रयासों में प्रौद्योगिकी को प्रमुखता दी गई है ताकि वित्तीय सेवाएं वहनीय लागत पर, बाजार सहभागियों की आवश्यकता के अनुसार दी जा सकें। भारिबैं ने सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) मॉडल को प्रोत्साहन दिया है जो कि बैंकों को भौगोलिक बाधाएं दूर करने में और प्रभावी वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने में समर्थ बनाएगा। अपनाया गया आईसीटी आधारित सुपुर्दगी मॉडल प्रौद्योगिकी निरपेक्ष होना चाहिए ताकि निजी अपेक्षाओं के अनुसार उसका उन्नयन और अनुकूलन सरलता से हो सके। इस पृष्ठभूमि में, भारिबैं द्वारा किए गए प्रमुख प्रयासों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

i. एसएचजी-बैंक लिंकेज मॉडल को प्रोत्साहित किया गया जो कि विश्व का सबसे बड़ा सूक्ष्म वित्त का मॉडल है और जिसके तहत 4.79 मिलियन एसएचजी ऋण से जुड़े हैं जिनमें 97 मिलियन गरीब परिवार कवर किए गए हैं (मार्च 2012 तक)।

ii. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों के लिए कोर बैंकिंग अपनाना अनिवार्य किया गया।

iii. बिजनेस कारेसपांडेंट (बीसी) आधारित सेवा सुपुर्दगी मॉडल को चरणबद्ध रूप से काफी उदार बनाया गया।

iv. देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को टियर 2 से टियर 6 के केंद्रों में मुक्त रूप से शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई।

v. बैंकों के लिए अनिवार्य किया गया कि वे 25 प्रतिशत नई शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में खोलें।

vi. छोटे ग्राहकों के लिए बैंक खाता खोलने संबंधी अपने ग्राहक को जानिए के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को काफी शिथिल किया गया।

vii. बैंकिंग चैनल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण को प्रोत्साहित किया गया।

viii. बैंकों के लिए मूल्यन को पूर्णत: मुक्त किया गया; अग्रिमों पर ब्याज दरों को पूर्णत: अविनियमित किया गया।

ix. शहरी वित्तीय समावेशन के लिए अलग कार्यक्रम शुरू किया गया।

---

[9] "वित्तीय समावेशन और बैंक: मुद्दे और परिप्रेक्ष्य", *भारिबैं मासिक बुलेटिन*, नवंबर 2011.

29. भारत में वित्तीय समावेशन के विस्तार के लिए किए गए रणनीतिक उपायों की कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएं निम्नवत् हैं:

i. गांवों को संरचनात्मक तरीके से कवर करते हुए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना। पहले चरण में 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को लक्ष्यित किया गया। अब फोकस को 2,000 से कम जनसंख्या वाले गांवों पर लाया गया है।

ii. नए उत्पादों की शुरुआत - आईसीटी आधारित बीसी मॉडल के माध्यम से कम-से-कम चार बैंकिंग उत्पाद उपलब्ध कराना।

iii. हमारी रणनीति इकोसिस्टम तैयार करने की रही है जिसमें प्रभावी वित्तीय समावेशन सुपुर्दगी मॉडल के विकास के लिए शाखाओं और आईसीटी आधारित बीसी आउटलेट संयुक्त रूप से शामिल होंगे।

iv. वित्तीय समावेशन को और अधिक सुगम बनाने के लिए खुदरा आउटलेटों या बीसी के उप-अभिकर्ताओं (अर्थात ग्राहक संपर्क स्थल) में कुछ शर्तों पर अंतरपरिचालन की अनुमति दी गई बशर्ते बीसी को नियुक्त करने वाले बैंक में उपलब्ध प्रौद्योगिकी अंतरपरिचालन के अनुकूल हो। किंतु ग्राहक संपर्क स्थल में बीसी या उसका खुदरा आउटलेट या उप-अभिकर्ता बीसी को नियुक्त करने वाले बैंक का निरंतर प्रतिनिधि बने रहेंगे।

v. बैंकों को सूचित किया गया कि वे वर्तमान आधार शाखा और बीसी स्थलों के बीच मध्यवर्ती पक्के ढांचे स्थापित कर सकते हैं (ग्रामीण क्षेत्रों में) ताकि बीसी के समूह को लगभग 3-4 कि.मी. की उपयुक्त दूरी में सहायता उपलब्ध कराई जा सके। ऐसी शाखाओं में पास बुक प्रिंटर से जुड़ा कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) टर्मिनल और बड़े ग्राहक लेनदेनों के परिचालन के लिए नकदी रखने की तिजोरी जैसी न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए और इनका पूर्णकालिक प्रबंध बैंक के अपने कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। यह अपेक्षा है कि ऐसी व्यवस्था से नकदी प्रबंधन, दस्तावेजीकरण, ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें दूर करने और बीसी परिचालनों के सूक्ष्म पर्यवेक्षण में कुशलता बढ़ेगी।

vi. बीसी मॉडल के विकास के चार चरण होते हैं:

- चरण 1: घूमता बीसी
- चरण 2: नियत स्थलीय बीसी आउटलेट
- चरण 3: कम लागत का मध्यवर्ती पक्का ढांचा (अति लघु शाखा)
- चरण 4: स्वयंपूर्ण पक्की शाखा।

vii. बैंकों के लिए वित्तीय समावेशन योजना - सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी देशी वाणिज्य बैंकों ने अप्रैल 2010 के प्रारंभ से तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना बनाई है।

30. बैंकिंग प्रणाली की तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना में निम्नलिखित मानदंड शामिल हैं:

i. खोली गई शाखाओं की संख्या जिनमें से बैंक रहित और 2,000 से अधिक और कम जनसंख्या वाले गांवों में खोली गई शाखाओं की संख्या।

ii. खोले गए बीसी आउटलेटों की संख्या।

iii. खोले गए आधारभूत बचत बैंक जमा खातों की संख्या।

iv. दिए गए आपात ऋणों (ओडी) की संख्या।

v. दिए गए उद्यमशीलता ऋणों (केसीसी/जीसीसी) की संख्या।

vi. पक्की शाखाओं और बीसी के माध्यम से उक्त खातों में किए गए लेनदेन।

31. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मासिक रिपोर्टिंग और वार्षिक समग्र समीक्षा के माध्यम से इन पहलों की सूक्ष्म निगरानी की जाती है।

वित्तीय समावेशन योजना - अब तक की उपलब्धियां

32. हाल की अवधि (मार्च 2010- जून 2012) के दौरान कुछ प्रमुख मानदंडों में हुई प्रगति की झलक नीचे दी गई है (ब्योरा अनुबंध -3 में):

i. बैंकिंग कनेक्टिविटी मार्च 2010 के 67,694 गांवों से बढ़कर जून 2012 में 1,88,028 से अधिक गांवों तक पहुंच गई।

ii. 2000 से अधिक जनसंख्या वाले लगभग 74,000 बैंक रहित गांव अब बैंकों से जुड़ गए हैं।

iii. बीसी की संख्या 34,532 से बढ़कर 1,20,098 हो गई।

iv. 70 मिलियन से अधिक आधारभूत बैंकिंग खाते खोले गए जिससे इनकी कुल संख्या 147 मिलियन हो गई।

v. लगभग 36 मिलियन लोग/परिवार ऋण से जोड़े गए।

33. इस कार्यशाला के संदर्भ में यह देखना महत्त्वपूर्ण है कि भारत में कम-से-कम जमाराशि और ऋण के संदर्भ में वित्तीय समावेशन की नाप पर समष्टि और सूक्ष्म - दोनों स्तरों पर आंकड़े इकट्ठे करने की सांख्यिकी प्रणाली बहुत पहले से रही है। भारत में बैंक शाखा नेटवर्क, जिसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंक प्रमुख हैं, से प्रति शाखा औसत जनसंख्या या प्रति 1,000 जनसंख्या पर जमा बैंक खातों की संख्या जैसी सांकेतिक बैंकिंग प्रवेश नाप के रूप में औपचारिक बैंकिंग प्रणाली की पहुंच की जानकारी मिलती है। आंकड़ों से पता चलता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के शाखा नेटवर्क में पिछले पांच वर्षों में विस्तार हुआ है जिससे कवरेज में वृद्धि हुई है और प्रति शाखा जनसंख्या 15,700 से कम होकर 12,600 रह गई है। वर्ष के दौरान खोली गई नई बैंक शाखाओं में ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं का हिस्सा 2007 से 2012 के बीच बढ़ा है। इसी अवधि के दौरान ग्रामीण केंद्रों में जमा खातों के हिस्से और अर्ध शहरी केंद्रों में ऋण खातों के हिस्से में कुछ सुधार हुआ है (अनुबंध - 4)। किंतु ऐसे आकलन से क्षेत्रवार या जनसंख्या के सामाजिक-आर्थिक स्तर संबंधी पक्की शाखाओं के नेटवर्क के विवरणात्मक पहलू की जानकारी नहीं मिलती।

34. अत: इन डाटाबेसों के और अधिक विस्तार की आवश्यकता है ताकि निगरानी के साधन और एमआईएस के रूप में उनकी उपयोगिता बढ़ सके। अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मानक मानदंड बनाने की भी आवश्यकता है जिन्हें सफलता के आकलन ले लिए और अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के विभिन्न साधनों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।

वित्तीय समावेशन के विस्तार में बाधाएं

35. स्पष्टत: 1.2 बिलियन जनसंख्या को बैंकिंग सेवाएं में कवर करने का कार्य अति विशाल है। यह स्पष्ट है कि 600 हजार गांवों में से लगभग 36,000 को ही पक्की शाखाओं वाली बैंक शाखाओं से कवर किया जा सका है। इस बात को अच्छी तरह से मान लिया गया है कि आपूर्ति पक्षीय और मांग पक्षीय कारक समावेशक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। बैंकों और अन्य वित्तीय सेवादाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्होंने आपूर्ति पक्षीय बाधाओं को कम करना चाहिए क्योंकि ये बाधाएं गरीबों और अलाभप्राप्त समूहों को वित्तीय प्रणाली तक पहुंचने से रोकती हैं। वित्तीय उत्पादों तक पहुंच के मार्ग में अनेक कारक बाधाएं बनते हैं जिनमें वित्तीय उत्पादों के संबंध में जागरुकता का अभाव, लेनदेनों तथा उत्पादों की उच्च लागत जो कि असुविधाजनक, अलचीली, अननुकूल और कम गुणवत्ता की होती है। किंतु हमें यह बात दिमाग में रखनी होगी कि आपूर्ति पक्षीय कारकों के अलावा, कम आय और/या आस्ति धारिता, वित्तीय साक्षरता/जागरुकता के मामले आदि जैसे मांग पक्षीय कारक भी समावेशक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों तक पहुंचने में कठिनाइयों के चलते गरीब लोग और छोटे तथा माइक्रो उद्यमी स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और उद्यमशीलता गतिविधियों में निवेश ले लिए सामान्यत: अपनी निजी बचत या आंतरिक स्रोतों या वित्त के अनौपचारिक स्रोतों का सहारा लेते हैं। बैंकों जैसी मुख्यधारा की वित्तीय संस्थाओं को इस बाधा को हटाने में न सिर्फ एक सामाजिक दायित्व के रूप में बल्कि कारोबारी दृष्टि से भी सहायता करनी होगी। वित्तीय सेवा प्रदाताओं द्वारा गरीबों को उपयुक्त सेवाएं देने के मार्ग की मुख्य बाधाओं में मनोवृत्तिगत मामलों के अलावा इन सेवाओं तक पहुंच की कमी, लेनदेनों की उच्च लागत और इसमें लगने वाला समय शामिल है। इस संबंध में वित्तीय समावेशन संबंधी प्रमुख बाधाओं को पहचानना आवश्यक है।

i) मांग पक्षीय बाधाएं निम्नवत् हैं (क) शिक्षा का कम स्तर, वित्तीय उत्पादों के संबंध में जागरुकता और/या ज्ञान/समझ की कमी; (ख) अनियमित आय; सूक्ष्म लेनदेनों की बारंबारता; (ग) औपचारिक बैंकिंग संस्थाओं में विश्वास की कमी; सांस्कृतिक बाधाएं (अर्थात लिंग और सांस्कृतिक मूल्य)।

ii) आपूर्ति पक्षीय भाधाओं में निम्न बातें शामिल हैं (क) पहुंच (जनसंख्या के कम घनत्व और कम आय वाले क्षेत्र वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपयोगी नहीं होते और पारंपरिक बैंकिंग कारोबार मॉडल के अनुसार वित्तीय रूप सर व्यवहार्य नहीं होते); (ख) विनियमन (अनेक बार संरचना को स्थानीय संदर्भ के अनुसार नहीं अपनाया जाता); (ग) कारोबारी मॉडल (सामान्यत: उच्च निर्धारित लागत वाले); सेवा प्रदाता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं के सीमित प्रकार और संख्या); (घ) सेवा (कम आय वालें लोगों और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए अननुकूलित उत्पाद और सेवाएं); (ङ) आयु कारक (वित्तीय सेवादाता सामान्यत: मध्य आयु वर्ग के लोगों पर ध्यान देते हैं जिससे बूढ़े या कम आयु वाले संभाव्य ग्राहकों के अनुकूल उत्पादों पर ध्यान नहीं

दिया जाता। कम आयु वाले या सेवानिवृत्त लोगों के लिए मुश्किल से कोई उत्पाद होगा क्योंकि बैंक इनसे कारोबार की अपेक्षा नहीं करते); (च) बैंक प्रभार (अधिकतर देशों में लेनदेन मुफ्त होते हैं क्योंकि खाते में पर्याप्त निधि होने से लेनदेन लागत कवर हो जाती है। किंतु अनेक प्रकार के अन्य प्रभार होते हैं जिससे कम आय वाले लोग प्रभावित होते हैं)।

समापक टिप्पणियां

36. अब मैं वित्तीय समावेशन संबंधी और विशेष रूप से इसके आकलन संबंधी चुनौतियों पर समापक टिप्पणियां करना चाहूंगा। भौगोलिक और जनसांख्यिकीय पहुंच बढ़ाने का मामला व्यवहार्यता के परिप्रेक्ष्य से चुनौती खड़ी करता है। अभी भी उपयुक्त कारोबार मॉडलों को विकसित करने का कार्य जारी है और विभिन्न सुपुर्दगी प्रणालियों की जांच जारी है। वित्तीय साक्षरता और जागरुकता का स्तर अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है और आईसीटी आधारित बीसी मॉडल को स्थिर होने में भी समय लग रहा है। इससे वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने ले लिए क्षेत्रीय विनियामकों, बैंकों, सरकार, नागरी समितियों, एनजीओ आदि जैसे पणधारकों के बीच समन्वय आवश्यक हो जाता है। वित्तीय असमावेशन की चुनौती का सामना विश्व के अधिकतर देशों द्वारा किया जा रहा है। अत: प्रत्येक देश को चाहिए कि वह अपने तथा अपने जैसे दूसरे देशों के अनुभवों के आधार पर अपने स्वयं के अनुकूलित समाधान खोजें।

37. नाप की चुनौती के संबंध में, एक, इस बात को देखना होगा कि वित्तीय समावेशन की धारणा, नीतियां, सुपुर्दगी मॉडल्स और कार्यान्वयन प्रक्रियाएं अभी भी विकास के स्तर पर हैं। अत: यह आवश्यक है कि पूर्ण वित्तीय समावेशन की प्राप्ति की नीति को भी समय की मांग के अनुसार बदलना होगा। इससे वित्तीय समावेशन की विभिन्न पहलों की नाप और साथ ही गतिविधियों, संस्थाओं, क्षेत्रों आदि के अनुसार उनकी समग्रता की चुनौती सामने आती है। वित्तीय समावेशन की पहलों के निष्पादन का सांख्यिकी विश्लेषण और बेंचमार्किंग मानकों का विकास काफी जटिल हो सकता है। दो, जहां वित्तीय समावेशन के आकलन की वर्तमान पहलें प्रशंसनीय हैं, वहीं सूक्ष्म और वितरणात्मक आयामों पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। तीन, बैंकिंग कारोबार की वर्तमान सूचना प्रणाली पर फोकस को पारंपरिक लेखांकन मॉडल से हटाकर ग्राहक केंद्रित कारोबार मॉडल पर लाने की जरूरत का आकलन करना होगा। इसके लिए, वित्तीय समावेशन की वर्तमान में प्रयोग की जा रही नाप का दायरा बढ़ाना होगा।

38. मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले एक बार फिर से आयोजकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस फोरम में आमंत्रित किया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस फोरम में बहुमूल्य चर्चा होगी और वित्तीय समावेशन की दिशा में वैश्विक गतिविधियों के संदर्भ में नाप संबंधी चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान निकलेगा। मैं इस कार्यशाला की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं।

अनुबंध 1: विश्व बैंक का फिनडेक्स - वित्तीय समावेशन के चुनिंदा संकेतक - 2011
(15 + आयु की जनसंख्या का अनुपात)

संकेतक का नाम	अमरीका	यूनाइटेड किंगडम	जर्मनी	रूसी संघ	ब्राजील	चीन	भारत
ऋण:							
पिछले वर्ष किसी वित्तीय संस्था से ऋण	20.1	11.8	12.5	7.7	6.3	7.3	7.7
पिछले वर्ष किसी वित्तीय संस्था से ऋण, आय, निम्नतम 40 प्रतिशत	17.6	11.1	12.3	6.3	3.5	7.7	7.9
पिछले वर्ष किसी वित्तीय संस्था से ऋण, आय, उच्चतम 60 प्रतिशत	22.3	13.2	13.7	8.7	8.2	7.0	7.5
पिछले वर्ष ऋण	44.6	28.8	25.3	31.9	23.8	29.4	30.6
पिछले वर्ष ऋण, आय, निम्नतम 40 प्रतिशत	45.1	28.1	25.4	32.1	19.7	32.4	35.7
पिछले वर्ष ऋण, आय, उच्चतम 60 प्रतिशत	44.2	30.2	24.6	31.7	26.6	27.3	24.9
बीमा:							
स्वास्थ्य बीमा के लिए निजी रूप से भुगतान	उ.न.	उ.न.	उ.न.	6.7	7.6	47.2	6.8
कृषि बीमा का क्रय (कृषि में कार्यरत प्रतिशत, आयु 15+)	उ.न.	उ.न.	उ.न.	3.7	11.2	7.2	6.6
भुगतान:							
भुगतान के लिए प्रयुक्त किए गए चेक	65.5	50.1	7.2	5.2	6.7	1.8	6.7
भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का प्रयोग	64.3	65.3	64.2	7.7	16.6	6.9	2.0
बिलों के भुगतान के लिए मोबाइल फोन का प्रयोग	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1.7	1.3	1.3	2.2
बचत:							
पिछले वर्ष किसी वित्तीय संस्था में की गई बचत	50.4	43.8	55.9	10.9	10.3	32.1	11.6
पिछले वर्ष किसी वित्तीय संस्था में की गई बचत, आय, निम्नतम 40 प्रतिशत	32.1	43.5	55.1	8.8	5.8	18.3	10.4
पिछले वर्ष किसी वित्तीय संस्था में की गई बचत,आय, उच्चतम 60 प्रतिशत	66.5	44.3	60.0	12.4	13.3	41.7	12.9
पिछले वर्ष की गई कोई भी बचत	66.8	56.7	67.3	22.7	21.1	38.4	22.4
पिछले वर्ष की गई कोई भी बचत, आय, निम्नतम 40 प्रतिशत	51.5	56.2	67.1	18.9	12.1	23.3	19.4
पिछले वर्ष की गई कोई भी बचत, आय, उच्चतम 60 प्रतिशत	80.2	57.7	68.1	25.4	27.1	48.9	25.8

उ.न.:उपलब्ध नहीं।

अनुबंध 2: आईएमएफ का एफएएस डाटाबेस - वित्तीय समावेशन पर चुनिंदा संकेतक

	अमरीका		यूनाइटेड किंगडम		जर्मनी		रूसी संघ		ब्राजील		चीन		भारत	
	2005	2011	2005	2011	2005	2011	2005	2011	2005	2011	2005	2011	2005	2011
एटीएम - प्रति 1,000 कि.मी.	43.2	उ.न.	240.9	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1.7	11.2	17.4	20.6	उ.न.	उ.न.	उ.न.	25.4
एटीएम - प्रति 100,000 वयस्क	168.6	उ.न.	117.9	उ.न.	उ.न.	उ.न.	22.8	152.9	108.9	119.6	उ.न.	उ.न.	उ.न.	8.9
वाणिज्य बैंक की शाखाएं - प्रति 1,000 कि.मी.	8.5	9.6	58.0	उ.न.	40.9	उ.न.	2.1	2.7	उ.न.	7.9	उ.न.	उ.न.	23.2	30.4
वाणिज्य बैंक की शाखाएं - प्रति 100,000 वयस्क	33.1	35.4	28.4	उ.न.	20.2	उ.न.	28.4	37.1	उ.न.	46.2	उ.न.	उ.न.	9.0	10.6
वाणिज्य बैंकों में जमा खाते - प्रति 1,000 वयस्क	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	705.7	1032.7	उ.न.	उ.न.	607.3	953.1
वाणिज्य बैंकों में पारिवारिक जमा खाते - प्रति 1,000 वयस्क	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	576.6	853.0
वाणिज्य बैंकों में पारिवारिक ऋण खाते - प्रति 1,000 वयस्क	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	747.4	उ.न.	उ.न.	7.4	20.6
वाणिज्य बैंकों में ऋण खाते - प्रति 1,000 वयस्क	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	853.7	उ.न.	उ.न.	100.4	142.0
वाणिज्य बैंकों में बकाया जमा - (जीडीपी का प्रतिशत)	48.0	57.8	356.5	422.8	20.1	27.6	18.7	45.0	34.0	53.3	123.2	159.3	47.3	68.4
वाणिज्य बैंकों से लिया गया बकाया ऋण - (जीडीपी का प्रतिशत)	48.9	46.8	377.6	460.0	24.7	24.2	29.5	63.9	21.2	40.3	85.3	108.7	31.2	51.8

उ.न.:उपलब्ध नहीं।
स्रोत: आईएमएफ का वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण, जुलाई 2012.

अनुबंध 3: भारत में वित्तीय समावेशन योजना में बैंकों की प्रगति[10]

क्र.	विवरण	10 मार्च को समाप्त वर्ष	11 मार्च को समाप्त वर्ष	12 मार्च को समाप्त वर्ष	12 जून को समाप्त तिमाही	अप्रैल 11-मार्च 12 की प्रगति
1	शाखाओं की कुल संख्या	85457	91145	99242	99771	8097
2	ग्रामीण शाखाओं की संख्या	33433	34811	37471	37635	2660
3	नियोजित सीएसपी की संख्या	34532	60993	116548	120098	55555
4	2000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग आउटलेट	37791	66447	112130	113173	45683
5	2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग आउटलेट	29903	49761	69623	74855	19862
6	पक्की शाखाओं वाले बैंकिंग आउटलेट	33378	34811	37471	37635	2660
7	बीसी के माध्यम से बैंकिंग आउटलेट	34174	80802	141136	147167	60334
8	अन्य माध्यमों से बैंकिंग आउटलेट	142	595	3146	3226	2551
9	कुल बैंकिंग आउटलेट	67694	116208	181753	188028	65545
10	बीसी से कवर किए गए शहरी स्थल	447	3771	5891	6968	2120
11	नो फ्रिल खाते (संख्या मिलियन में)	73.45	104.76	138.50	147.94	33.74
12	नो फ्रिल खातों में राशि (राशि बिलियन में)	55.02	76.12	120.41	119.35	44.29
13	ओडी सहित नो फ्रिल खातों की संख्या (संख्या मिलियन में)	0.18	0.61	2.71	2.97	2.10
14	ओडी सहित नो फ्रिल खातों की संख्या (राशि बिलियन में)	0.10	0.26	1.08	1.21	0.82
15	केसीसी-कुल संख्या मिलियन में	24.31	27.11	30.23	30.76	3.12
16	केसीसी-कुल राशि बिलियन में	1240.07	1600.05	2068.39	2094.00	468.34
17	जीसीसी-कुल संख्या मिलियन में	1.39	1.70	2.11	2.29	0.41
18	जीसीसी-कुल राशि बिलियन में	35.11	35.07	41.84	43.21	6.77
19	बीसी के माध्यम से आईसीटी आधारित खाते (संख्या मिलियन में)	13.26	31.65	57.08	62.77	25.44
20	आईसीटी आधारित खाता लेनदेन (संख्या मिलियन में)	26.52	84.16	141.09	45.96	141.09

[10] अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोड़कर)

अनुबंध 4: भारत में बैंकिंग के मानदंडों की प्रवृत्ति

मद	31 मार्च	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. वाणिज्य बैंकों की संख्या		183	173	170	168	167	173
(क) अनुसूचित वाणिज्य बैंक		179	169	166	164	163	169
जिनमें से: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		96	90	86	83	82	82
(ख) गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक		4	4	4	4	4	4
2. नई शाखाओं का वितरण (प्रतिशत)	कुल	100	100	100	100	100	100
	ग्रामीण	9	14	18	19	24	33
	अर्द्ध शहरी	31	31	32	33	41	37
	शहरी	35	31	26	27	17	16
	महानगरीय	26	24	24	21	18	14
3. जमा खातों का वितरण (प्रतिशत)	कुल	100	100	100	100	100	..
	ग्रामीण	29	29	30	31	31	..
	अर्द्ध शहरी	26	26	26	26	26	..
	शहरी	22	22	21	21	21	..
	महानगरीय	24	24	23	23	22	..
4. ऋण खातों का वितरण (प्रतिशत)	कुल	100	100	100	100	100	..
	ग्रामीण	33	31	31	31	32	..
	अर्द्ध शहरी	23	22	23	23	24	..
	शहरी	14	13	13	14	14	..
	महानगरीय	30	33	33	33	30	..
5. प्रति शाखा औसत जनसंख्या (हजार में)	कुल	15.7	15.1	14.5	13.8	13.3	12.6
6. बैंकयुक्त केंद्रों की संख्या (अनुसूचित वाणिज्य बैंक)	कुल	34399	34426	34636	34801	35151	36391

'..' : अनुपलब्ध

टिप्पणी: सभी राजस्व केंद्रों (निवास) को 2001 की जनगणना पर आधारित उनकी जनसंख्या के आधार पर चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ये समूह ग्रामीण (< 10,000 जनसंख्या), अर्ध शहरी (10,000> = जनसंख्या< 1,0।000), शहरी (1,00,000< जनसंख्या < 10,00,000) और महानगरीय (जनसंख्या >= 10,00,000) हैं।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और जनगणना के आंकड़े।